प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5459/2007

याचिकाकर्ता - जयेश कुमार जैन, पिता श्री विजय कुमार जैन, आयु लगभग 27 वर्ष, राज्य समन्वयक, छत्तीसगढ़ (कॉज़ फाउंडेशन की ओर से), निवासी—कास फाउंडेशन, चौहान राजा, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग (छ.ग.)

3. थाना प्रभारी, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

4. प्रदीप सिंह, पिता रामियाखान सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी—चंद्रशेखर स्कूल के पीछे, पंचशील नगर, दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से—श्री विवेक शर्मा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से—श्री सुमेश बजाज, शासकीय अधिवक्ता

.....

आदेश

(दिनांक 7 सितंबर, 2007 को पारित)

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता कास फाउंडेशन में राज्य समन्वयक के रूप में कार्यरत है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25

के अंतर्गत स्थापित एक संस्था है। इस संस्था का मुख्य कार्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उत्तरवादी क्रमांक 4 श्री प्रदीप सिंह को कंपनी की भिलाई शाखा में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका कार्य दो संयुक्त देयता समूहों के समन्वय के माध्यम से कंपनी के ग्राहकों से ऋण की किस्तों की वसूली करना था। उत्तरवादी क्रमांक 4 को अनुशासनहीनता के कारण दिनांक 7-2-2007 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता का आरोप है कि कंपनी को विश्वसनीय स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि सेवा से हटाए जाने के पश्चात भी उत्तरवादी क्रमांक 4 कंपनी के ग्राहकों/संयुक्त देयता समूहों से धनराशि वसूल कर रहा था और उसे कंपनी में जमा नहीं कर रहा था, जिससे कंपनी के साथ धोखाधड़ी की गई। उत्तरवादी क्रमांक 4 के इस कृत्य के कारण कंपनी को अत्यंत आर्थिक हानि हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में उत्तरवादी क्रमांक 2, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को लिखित शिकायत (अनुलग्नक पी./1) प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता के अनुसार, कंपनी द्वारा थाना सुपेला, जिला दुर्ग में भी उत्तरवादी क्रमांक 4 के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह कहना है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करना तथा अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करना अनिवार्य है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के अंतर्गत उपलब्ध उपाय का उपयोग नहीं किया है, अर्थात संबंधित पुलिस अधीक्षक को यह शिकायत (अनुलग्नक पी./1 के अनुसार) नहीं की कि थाना द्वारा प्रकरण दर्ज करने से इंकार किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने न तो धारा 154(3) के अंतर्गत किसी उच्च अधिकारी को शिकायत की और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत उपलब्ध अन्य वैधानिक उपायों का सहारा लिया। बिना किसी कारण बताए याचिकाकर्ता ने सीधे यह याचिका दायर की है, जिसमें

उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 को उत्तरवादी क्रमांक 4 के विरुद्ध जांच प्रारंभ करने हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

7. जब याचिकाकर्ता ने विधि के अंतर्गत उपलब्ध उपायों का उपयोग ही नहीं किया है, तब यह न्यायालय न तो किसी न्यायिक अधिकारी को और न ही उत्तरवादी क्रमांक 1, 2 एवं 3 को कोई निर्देश दे सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि थाना शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज करने के लिए बाध्य है, किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रखता। निस्संदेह, थाना प्रकरण दर्ज करने तथा उसकी जांच करने के लिए बाध्य है।

8. तथापि, चूँकि याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक उपायों का उपयोग नहीं किया है, अतः इस अवस्था में इस याचिका पर विचार करना उचित नहीं है।

9. परिणामस्वरूप, यह याचिका संधारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है। तथापि, याचिकाकर्ता को विधि के अंतर्गत उपलब्ध अन्य उपायों का आश्रय लेने की स्वतंत्रता रहेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**